



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य सरणी
कोलकाता – 700 001

दिनांक: 11.08.2022

कार्यालय आदेश सं.15/2022

कार्यालय आदेश संख्या 21/2020 दिनांक 17.11.2020 के क्रम में टी बोर्ड के उप-नियम 45 और 46 एवं 1955 के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष, निम्नलिखित वित्तीय शक्तियों को श्री एम. रमेश, सहायक निदेशक चाय विकास, टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि के पक्ष में सौंपने की कृपा इस शर्त के अधीन कर रहे हैं कि वह कार्यालय के अग्रदाय खाते का रख-रखाव करेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम 1954, टी बोर्ड कानून 1955 के प्रावधानों और कार्यकारी समिति / बोर्ड के अन्य निर्णयों का भी पालन करेंगे।

1	किसी एक मद पर 5000/- रुपये तक की स्वीकृति व्यय (विकास कार्यों के अलावा)
2	प्रत्येक मामले में 6000/- रुपये से अधिक की राशि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करें (विकास कार्यों के अलावा)
3	अग्रदाय राशि 4000/- से अधिक न हो (विकास कार्यों के अलावा)
4	जब भी आवश्यक हो, बोर्ड के कार्यालय परिसर/चाय केंद्र/अतिथि गृहों आदि के संबंध में किराए, नगर निगम/जल कर शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए सटीक राशि की सीमा तक एक ही चेक पर हस्ताक्षर करें।

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव (प्र)

वितरण:

1	श्री एम.रमेश, स.नि.चा.वि, टी बोर्ड, कोच्चि	
2	कार्यपालक निदेशक, कून्नूर	
3	वि.स. & मु.ले.अ..	
4	नि.चा.वि.	
5	ले.अ. (वेतन)	
6	उपाध्यक्ष के सचिव	
7	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	वि.स. एवं मु.ले.अ. व सचिव के नि.सह	
9	टीबीइए	
10	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित